रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240206 CG-DL-E-11112022-240206

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572]

No. 5721

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/44/डब्ल्यू/13-डीडी/37/डब्ल्यू/आईएनएफ/13-डीसी/555/17.— चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. सुनील दौलतराम जैथवार (सदस्यता संख्या 041315), ए 101, प्रथम तल, साई दर्शन काम्पलेक्स, रोड नंबर 1, ममलातदार वाडी, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400 064 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. सुनील दौलतराम जैथवार (सदस्यता संख्या 041315) के नाम को 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 1,00,000/- रुपए (केवल एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाना है और जिसकी अभिपृष्टि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 7 अक्टूबर, 2022 को सुनाए गए अपने आदेश द्वारा की गई है। अत: अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के

7505 GI/2022 (1)

साथ पिठत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. सुनील दौलतराम जैथवार (सदस्यता संख्या 041315) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 03 (तीन) वर्ष की अविध के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./395/2022-23]

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2022

## (CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/44/W/13-DD/37/W/INF/13-DC/555/17.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held CA. Sunil Daulatram Jaithwar (Membership No. 041315), A 101, 1<sup>st</sup> Floor, Sai Darshan Complex, Road No. 1, Mamlatdar Wadi, Malad(West), MUMBAI 400 064, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Sunil Daulatram Jaithwar (Membership No. 041315) from the Register of Members for a period of 03(three) years and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(Rs. One Lakh only) to be paid within 30 day, which is also upheld by the Appellate Authority vide its order pronounced on 7<sup>th</sup> October, 2022. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of CA. Sunil Daulatram Jaithwar (Membership No. 041315) shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(three) years with effect from 11<sup>th</sup> November, 2022.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./395/2022-23]